



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 02.04.2025

थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व कारतुस के साथ अभियुक्त(हिस्ट्री-शीटर) गिरफ्तार —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलग्न अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना मड़िहान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 02.04.2025 को उप निरीक्षक विनोद कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्र से अभियुक्त गोपाल पुत्र स्व0 चोआ निवासी विरोहिया थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0स0 - 82/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. गोपाल पुत्र स्व0 चोआ निवासी विरोहिया थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-82/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0-17/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नैगढ़ जनपद चन्दौली।
- मु0अ0सं0-21/2019 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधीक्रियाकलाप (निवारण) अधि. अधिनियम थाना नैगढ़ जनपद चन्दौली।
- मु0अ0सं0-16/2019 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि. थाना नैगढ़ जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक विनोद कुमार राय मय पुलिस टीम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

